UPJP010034222022

IN THE COURT OF
Addl. District and Sessions Judge 6th/Spl. Judge Pocso Act. at, Jaunpur.
Presided Over by Surendra Pratap Yadav (H.J.S.)
J.O. Code- UP1668

Special Sessions Trial-83/2022

सरकार

...........अभियोगी।

बनाम

बबुआ उर्फ सुरजीत उर्फ विश्वजीत पुत्र माधव राम निवासी कुधुआ थाना सिंगरामऊ, जिला जौनपुर।

.............अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या–27 सन् 2022
रजिस्ट्रेशन नंबर–482/2022
धारा– 363, 366, 376(i) भारतीय दण्ड संहिता व
धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम
थाना–सिंगरामऊ, जिला–जौनपुर।

शिकायतकर्ता/वादिनी मुकदमा	उत्तर प्रदेश सरकार/श्यामा
प्रतिनिधित्वकर्ता/विद्वान अधिवक्ता	विशेष लोक अभियोजक
अभियुक्त	बबुआ उर्फ सुरजीत उर्फ विश्वजीत
बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता	श्री एस०पी० सिंह एड०, श्री अभिनव सिंह एड० श्री उपेन्द्र विक्रम सिंह एड०, श्री धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय एड०,

➢ **महत्वपूर्ण तिथियां**

घटना की तिथि	17.04.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने की तिथि	22.04.2022
आरोप विरचन की तिथि	19.09.2022
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	19.08.2023
निर्णय में सुरक्षित करने की तिथि	22.06.2026

निर्णय

1. यह विचारण थाना सिंगरामऊ, जिला जौनपुर की पुलिस द्वारा अभियुक्त बबुआ उर्फ सुरजीत उर्फ विश्वजीत के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–27 सन् 2022 में धारा–363, 366,

Digitally signed by SURENDRA PRATAP YADAV
Date: 2026.07.08 15:59:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Jaunpur

376 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत आरोप पत्र पर प्रारम्भ हुआ।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **निपुन सक्सेना बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (2019) 2 एस.सी.सी.703** में यह निर्देशित किया गया है कि **''न्यायालय को बलात्संग से सम्बन्धित निर्णयों में पीड़िता का नाम नहीं लिखना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता का नाम सार्वजनिक न होने के उद्देश्य से निर्णय के अग्रेतर भाग में उसे पीड़िता शब्द से संबोधित किया जायेगा।''**

3. अभियोजन कथानक तहरीर **प्रदर्श क–1** के अनुसार इस प्रकार है कि "प्रार्थिनी श्यामा पत्नी सोभानाथ निवासी ग्राम कुधुआ थाना सिंगरामऊ जनपद जौनपुर की मूल निवासी है। दिनांक 17.04.2022 को समय करीब शाम 07.00 बजे मेरी लड़की/पीड़िता उम्र करीब 17 वर्ष को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला–फुसलाकर कहीं ले जाना, जिससे हम लोगों द्वारा काफी खोजबीन करने पर उसका कोई बता नहीं चल रहा है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।"

4. उक्त तहरीर के आधार पर थाना सिंगरामऊ, जिला जौनपुर पर दिनांक 22.04.2022 को मुकदमा अपराध संख्या–27 सन् 2022 अन्तर्गत धारा–363, 366 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम विरूद्ध अज्ञात पंजीकृत हुआ और विवेचना प्रारम्भ हुई। दौरान विवेचना विवेचक के द्वारा साक्षियों के बयान लिए गए और पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त बबुआ उर्फ सुरजीत उर्फ विश्वजीत के विरूद्ध आरोप पत्र **प्रदर्श क–12** अन्तर्गत धारा–363, 366, 376 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया।

5. न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2022 को अभियुक्त बबुआ उर्फ सुरजीत उर्फ विश्वजीत के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–363, 366, 376(i) भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा परीक्षण की मांग की।

मौखिक साक्ष्य

6. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 वादिनी मुकदमा श्यामा, पी०डब्ल्यू०–2 पीड़िता, पी०डब्ल्यू०–3 प्रधानाचार्य राम कुमार यादव, पी०डब्ल्यू०–4 हेड कॉस्टबेल सनाउल्ला खां व पी०डब्ल्यू०–5 एस०आई० गिरीश मिश्रा को परीक्षित कराया गया।

7. **<u>दस्तावेजी साक्ष्य</u>**

क्रम	प्रदर्श संख्या	दस्तावेजी प्रपत्र	किसने साबित किया
1	प्रदर्श क–1	तहरीर	साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 वादिनी मुकदमा श्यामा
2	प्रदर्श क–2	बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं०	साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 पीड़िता
3	प्रदर्श क–3	प्रवेश पत्र	साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 प्रधानाचार्य राम कुमार यादव
4	प्रदर्श क–4	एस०आर० रजिस्टर	साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 प्रधानाचार्य राम कुमार यादव
5	प्रदर्श क–5	गजट हाईस्कूल वर्ष–2022	साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 प्रधानाचार्य राम कुमार यादव
6	प्रदर्श क–6	चिक एफ०आई०आर०	साक्षी पी०डब्ल्यू०–4 हे० कॉ० शनाउल्ला खां
7	प्रदर्श क–7	कायमी जी०डी०	साक्षी पी०डब्ल्यू०–4 हे० कॉ० शनाउल्ला खां
8	प्रदर्श क–8	नक्शा–नजरी	साक्षी पी०डब्ल्यू०–5 एस०आई० गिरीश मिश्रा
9	प्रदर्श क–9	बढ़ोत्तरी जी०डी०	साक्षी पी०डब्ल्यू०–5 एस०आई० गिरीश मिश्रा
10	प्रदर्श क–10	गिरफ्तारी जी०डी०	साक्षी पी०डब्ल्यू०–5 एस०आई० गिरीश मिश्रा
11	प्रदर्श क–11	गिरफ्तारी मेमो०	साक्षी पी०डब्ल्यू०–5 एस०आई० गिरीश मिश्रा
12	प्रदर्श क–12	आरोप पत्र	साक्षी पी०डब्ल्यू०–5 एस०आई० गिरीश मिश्रा

8. अभियोजन की ओर से परीक्षित **साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 श्यामा** ने सशपथ मुख्य बयान में बताया कि घटना दिनांक 17.04.2022 को समय करीब 07.00 बजे शाम की है। वह पढ़ी–लिखी नहीं है। उसकी लड़की/पीड़िता को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला–फुसलाकर कहीं लेकर चला गया था। उसके परिवार के लोगों द्वारा उसकी लड़की की काफी खोजबीन किया गया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। तब थक हार कर वह थाना सिंगरामऊ में जा करके घटना के बारे में थाने से बाहर बैठे एक अज्ञात व्यक्ति से घटना के बारे में बोल–बोलकर एक प्रार्थनापत्र लिखवाया और प्रार्थनापत्र को पढ़वाकर, सुनकर, अपना हस्ताक्षर बनाया और प्रार्थनापत्र थाने पर दिया, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। गवाह को शामिल पत्रावली तहरीर दिखाया गया, तो गवाह ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। बाद में पता चला कि उसके

गांव का लड़का बबुआ उर्फ सुरजीत भी उसी दिन से गायब है, जिस दिन से उसकी लड़की गयी है। बबुआ उर्फ सुरजीत ने उसके घर के मोबाइल पर फोन करके कहा कि वह उसकी लड़की को लेकर चला आया है। कहा कि कोई कार्यवाही मत करना, आपकी लड़की मेरे साथ है। दरोगा जी उससे पूछताछ किये थे। उसने दरोगा जी को पूरी घटना के बारे में बताया था। उसने दरोगा जी को घटना स्थल दिखाया था। **इस साक्षी ने जिरह में बताया** कि उसकी बेटी जून माह में पैदा हुई थी। किस सन्, किस दिन पैदा हुई, नहीं पता। इस समय वह ननिहाल में रहती है। डेढ़ साल से ननिहाल में रह रही है। इस समय लड़की की उम्र 18 साल है। बेटी की शादी नहीं किया है। यह कहना गलत है कि उसकी बेटी परदेश मुम्बई में गुड्डू के साथ रहती है। उसकी लड़की कक्षा–9 तक पढ़ी है। नाम लिखाने उसका बेटा वीरू गया था, जो इस समय 19 साल का है। वीरू से बेटी 1 साल छोटी है, जो अगहन में पैदा हुआ है। उसकी लड़की इस समय मायका कमालपुर में छः महीने से रह रही है। घटना के समय उसकी लड़की 9 या 10 में पढ़ रही थी, याद नहीं है। कोई भी बच्चा अस्पताल में नहीं पैदा हुआ। किसी की जन्मपत्री नहीं बनती है। स्कूल में बच्चों की जन्मतिथि अन्दाज से लिखायी है। बबुआ ने ही फोन करके उसे बताया कि वह उसकी लड़की को ले आया है। उसने पता पूछा, लेकिन बताया नहीं। लड़की के जाने के पांच दिन बाद फोन किया था। बबुआ के बारे में गांव वालों से पता चला, लेकिन यह याद नहीं कि किसने बताया था। बड़े लड़के तथा छोटे लड़के के बीच पांच वर्ष का अन्तर है। दिनांक 03.10.2024 की जिरह में उसने बताया कि उसकी लड़की की शादी गुड्डू से हो चुकी है, प्रेम विवाह हुआ है। शादी दो वर्ष पहले हुई है। तारीख याद नहीं है। लड़की मिलने के तीन दिन बाद मुकदमा लिखा गया था। किस महीना, वर्ष व तारीख था, मालूम नहीं। लड़की किस तारीख को भागी थी, याद नहीं। इस घटना से पहले लड़की किसी के साथ नहीं भागी थी। राम किशन उसके विरोधी है। दिनांक 15.10.2024 को हुई जिरह में साक्षी ने बताया कि पीड़िता की शादी बम्बई में मैरिज लॉन से किया था। मैरिज लॉन का नाम याद नहीं। शादी में 20–25 लोग बराती थे। 2022 में शादी हुई थी। सुरजीत उर्फ बबुआ के साथ उसकी लड़की भागी थी। इसके बारे में उसने गुड्डू को बताया था। दिनांक 24.10.2024 की जिरह में साक्षी ने बताया कि उसकी लड़की जब भागी थी, तो गहना लेकर नहीं गयी थी, न रूपया पैसा लेकर गयी थी। कपड़ो में सूट लेकर गयी थी। किसी बच्चे ने पीड़िता के रहन–सहन बोलने–बतीयाने के बारे में कभी डाटा–फटकारा व मारापीटा नहीं था। जिस स्कूल में पीड़िता पढ़ती थी, उसकी स्कूल में उसके अन्य बच्चे भी पढ़ते थे। पीड़िता के दिमाग का इलाज चल रहा था। झांड–फूक भी हुई थी, जिसकी जानकारी उसके ससुराल वालों को नहीं थी। उसकी लड़की उसे किस तारीख को मिली थी, याद नहीं है। मई महीने में वापस आयी थी। किस तारीख को वापस आयी, याद नहीं है। उसकी लड़की जब वापस आयी थी, तो सिन्दूर लगायी थी और मंगलसूत्र पहनी

थी। उसकी लड़की ने जो शादी की थी, उसे हम लोगों ने नहीं माना और छूट्टा–छूट्टी का मुकदमा किया। मुकदमा चलने के दौरान लड़की की दोबारा शादी कर दिये। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं हो सकती है। पहली शादी व दूसरी शादी के बीच एक वर्ष का अन्तर था। पीड़िता ने पहली शादी जिस मन्दिर में किया था, उस मन्दिर में वह कभी नहीं गयी। उसने तहरीर में सुरजीत का नाम लिखाया था। तहरीर किसने लिखा, याद नहीं है। उसे याद नहीं कि तहरीर प्रदर्श क–1 में क्या–क्या लिखा था। किस दिनांक, महीना, वर्ष में लिखा था, यह भी ख्याल में नहीं है। उसकी लड़की एल–केजी, यू–केजी के क्रम में पढ़ाई की, कि नहीं, याद नहीं है। पहली बार जब पीड़िता स्कूल गई, तो उसके पापा नाम लिखाने गये थे। कौन सी जन्मतिथि लिखाये उसे नहीं पता है। किस आधार पर लिखायी, याद नहीं है। लड़की का मेडिकल परीक्षण व उम्र परीक्षण के लिए उसने मना किया था कि नहीं, वह नहीं बता सकती।

9. अभियोजन की ओर से परीक्षित **साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 पीड़िता** ने सशपथ मुख्य बयान में बताया कि वह घटना के समय कक्षा–9 की छात्रा थी। वह घटना के समय नाबालिग थी। घटना के समय 16 वर्ष की थी। घटना दिनांक 18.04.2022 की समय करीब 06.00 बजे शाम की है। उस दिन वह घर से निकल कर शौच के लिए खेत में गयी थी। उसी समय उसके गांव का उसका पड़ोसी बबुआ उर्फ सुरजीत उससे मिला। उसे बहला–फुसलाकर व शादी का झांसा देकर कानपुर ले गया। कानपुर ले जाकर उसे एक किराये के कमरे में रखा था। कितना दिन रखा था, याद नहीं है। उस कमरे में बबुआ उर्फ सुरजीत जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाता था। वह मना करती थी, उसे मारता–पीटता था और उसे धमकी देता था कि अगर तुम किसी को बताओगी तो तुम्हें जाने से मार दूंगा। दो दिन बाद बबुआ उर्फ सुरजीत के घर से फोन आया, बताये कि उसकी मां ने मुकदमा कर दिया है, तब बबुआ उर्फ सुरजीत उसे कानपुर से लाकर अपने घर पर छोड़कर चला गया। तब सुरजीत की मां, उसे घर लाकर घर के बाहर छोड़कर चली गयी। तब वह अपनी मां से घटना की पूरी बात बतायी थी। बबुआ उर्फ सुरजीत उसे धमकी दिये थे कि अगर उसके विरूद्ध कहीं बयान देगी, तो वह उसे जान से मार देगा। यह मुकदमा उसकी मां ने थाना सिंगरामऊ में लिखाया था। थाना सिंगरामऊ में महिला पुलिस उसका बयान ली थी। महिला पुलिस को सुरजीत की धमकी की वजह से सही बात न बताकर, सही बात नहीं बतायी थी। पुलिस वाले उसका डॉक्टरी परीक्षण कराने ले गये थे, लेकिन वह सुरजीत के डराने–धमकाने की वजह से अपना डॉक्टरी परीक्षण नहीं करायी थी। पुलिस वाले उसका बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने कराये थे। तलबशुदा बयान न्यायालय के आदेश से सीलबन्द लिफाफा खोला गया। गवाह को उसका बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० अक्षरशः पढ़कर सुनाया गया था, तो गवाह ने कहा कि यह बयान सुरजीत के डराने धमकाने के कारण सही न

बताकर, सही बात नहीं बतायी थी। बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० शामिल पत्रावली को देखकर गवाह ने अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त किया, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। **इस साक्षी ने जिरह में बताया** कि शादी हुए दो महीना हुआ। शादी संजय से हुई है। सुरजीत से जो शादी हुई थी, उससे तलाक नहीं हुआ है। पति–पत्नी के रूप में कितने दिन रहे, याद नहीं है। जिस मन्दिर में सुरजीत से शादी हुई, यह मन्दिर कहाँ था, किसी देवी का था, याद नहीं है। सुरजीत से कोई बच्चा नहीं है, न वह गर्भवती हुई थी। वह घर से शाम छः बजे भागी थी। कोई सामान लेकर नहीं भागी थी। प्रदर्श क–2 पर अंकित शब्द ”मैं अपनी मर्जी से अपने घर से भागी थी।” यह बयान उसने दबाव में दिया था। ”मैं अपनी मर्जी से भागी हूँ, मुझे किसी ने भगाया नहीं है।” यह बात उसने सुरजीत के दबाव में धारा–164 का बयान हुआ था, मजिस्ट्रेट के सामने दिया था। बयान के समय सुरजीत नहीं था। मजिस्ट्रेट के सामने डराने वाली बात नहीं बतायी थी। उसने दबाव और डर में झूठा बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया था। इसके बारे में कोई प्रार्थनापत्र कहीं नहीं दिया। धारा–164 दं०प्र०सं० का यह बयान कि सुरजीत को उसने अपने घर पर बुलाया था, यह बात उसने दबाव में दिया था। जब वह धारा–164 दं०प्र०सं० का बयान देने आयी थी, उस समय सुरजीत जेल में था। याद नहीं कि कितने दिन पहले से जेल में था। उसकी दूसरी शादी बम्बई में हुई है। स्कूल का नाम याद नहीं आ रहा है। कक्षा–9 तक पढ़ी है। बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ी है। वह उस समय मामा के घर थी, जो बटाऊबीर में है। स्कूल में नाम लिखाने उसकी मम्मी गयी थी। उस समय उसकी कितनी उम्र थी, नहीं बता सकती है। वह लोवर केजी, अपर केजी, उसी स्कूल में पढ़ी है। दिनांक 06.12.2024 को हुई जिरह में साक्षी ने बताया कि सुरजीत के साथ कहाँ–कहाँ रही, कितने दिन रही, ध्यान नहीं है। कमरा लेकर रूके थे। खाना बाहर से मंगाते थे। वहाँ अन्य लोग थे या नहीं, याद नहीं आ रहा है। रूम में बन्द करके रखे थे। कहीं घुमाने नहीं ले जाते थे। काम करने जाते थे या नहीं, ध्यान नहीं है। पहली बार बस से गयी थी। बस में मदद नहीं मांगी थी। बस से उतरकर ऑटो से कमरे तक गये थे। ऑटो में मदद नहीं मांगी थी। किचन बाथरूम सब था। बाथरूम कमरे से बाहर था। बाथरूम के बहाने भागने की कोशिश नहीं की थी। मकान मालिक का नाम नहीं जानती हूँ। उसका जन्मदिन जून माह में मनाया जाता है। वह किसी भाई की जन्मतिथि नहीं जानती है। बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० उसे धमकी दिलाकर दिलाया गया था। सुरजीत धमकी दिये थे। बयान से दो दिन पहले धमकी दिये थे। वह यह बता सकती कि जब सुरजीत 7–8 दिन पहले बयान के गिरफ्तार हो गये थे, तो धमकी दो दिन पहले कैसे दिये। बयान के समय मम्मी–पापा के साथ आयी थी। उनको धमकी वाली बात बतायी थी। धमकी के सम्बन्ध में मम्मी ने मुकदमा कराया था, जिसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। स्कूल में उसकी जन्मतिथि कौन लिखाया, जानकारी नहीं है। मुख्य बयान का यह बयान कि ”मैं शौच

के लिए गयी थी, तब अभियुक्त मुझे भगा कर ले गया था", यह बात उसने अपने बयान धारा–161 दं०प्र०सं० व धारा–164 दं०प्र०सं० में नहीं बताया था। उसका मकान दो कमरे का है। रसोई घर व लैट्रिन बाथरूम है। सुबह घर के शौचालय में शौच करती थी। शाम को बाहर शौच के लिए अकेले जाती थी। बारिश होने व तबीयत खराब होने पर घर पर ही शौच करती थी। उसने मुख्य परीक्षा में जबरदस्ती सम्बन्ध बनाने वाली बात बतायी है, यह बात अपने धारा–164 दं०प्र०सं० के बयान में नहीं बतायी। विवेचक को भी जबरदस्ती वाली बात नहीं बतायी, क्योंकि अभियुक्त ने धमकी दिया था। यह कहना गलत है कि धमकी वाली बात को जानबूझकर बढ़ा–चढ़ाकर बता रही है। उसकी मुख्य परीक्षा का यह बयान कि अभियुक्त उसे मारता–पीड़ता था, धारा–161 व 164 दं०प्र०सं० के बयान में नहीं बताया। मुकदमा लिखाने वह अपनी मम्मी के साथ नहीं गयी थी। मुकदमा लिखाने के दो दिन बाद वह अपने घर चली गयी थी। गुड्डू के साथ शादी हुए, दो माह हुआ है। गुड्डू से शादी जून महीने में हुई है। इस मुकदमे की घटना के पहले उसने सुरजीत की शिकायत अपने माता–पिता से नहीं किया था। उसने स्कूल में कभी सुरजीत के बारे में कोई शिकायत नहीं किया, क्योंकि स्कूल जाते समय सुरजीत ने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की थी। थाने में भी कोई शिकायत नहीं की थी। उसने अपने भाईयों से सुरजीत की शिकायत की थी, भाईयो ने सुरजीत को डाटा व मारा था, लेकिन पुलिस में कोई रिपोर्ट व शिकायत नहीं की थी। घटना के बाद से उसका छोटा भाई हमेशा उसके साथ आता–जाता था। उसके दिमाग का कोई इलाज नहीं हुआ। जब वह घर आयी, तो मंगलसूत्र निकाल दिया और सिन्दूर नहीं लगाती थी। सुरजीत से शादी वाली बात अपने माता–पिता से बताया था। लेकिन सुरजीत के साथ तलाक का कोई मुकदमा चल रहा है कि नहीं, नहीं बता सकती। उसने मेडिकल परीक्षण नहीं कराया था, क्योंकि सुरजीत ने मेडिकल जांच न कराने की धमकी दिया था। मेडिकल जांच करने के लिए जो पुलिस उसके साथ गयी थी, उन पुलिस वालों को उसने नहीं बताया था कि सुरजीत ने मेडिकल न कराने की धमकी दिया था। मेडिकल प्रपत्र में लिखी बात उसने डर के कारण अंकित कराया था।

10. अभियोजन की ओर से परीक्षित **साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 राम कुमार यादव प्रधानाचार्य एस.एस.एस.एस. इण्टर कॉलेज, खजुरन, मेढ़ा, जौनपुर** ने सशपथ मुख्य बयान में बताया कि वह उपरोक्त विद्यालय में वर्ष 1995 से बतौर सहायक अध्यापक नियुक्त था। वर्ष 2016 से प्रोन्नत होकर बतौर प्रधानाचार्य कार्यरत है। आज वह न्यायालय के समन पर छात्रा/पीड़िता से सम्बन्धित शैक्षणिक अभिलेख मूल एस०आर० रजिस्टर व मूल गजट, हाईस्कूल गजट सन् 2022 के साथ साक्ष्य हेतु उपस्थित है। विद्यालय अभिलेख के अनुसार छात्रा का नाम पंजिका संख्या–15276 पर अंकित है, जिसके अनुसार छात्रा/पीड़िता की जन्मतिथि 07.07.2005 है। छात्रा का प्रवेश उसके विद्यालय में

दिनांक 03.07.2020 को कक्षा–9 में हुआ था। उसका दिनांक 30.06.2022 कक्षा–10 अनुत्तीर्ण होने के कारण नाम काट दिया गया था। मूल प्रवेश पत्र को देखकर गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। अपने साथ लाये गये एस०आर० रजिस्टर व मूल गजट हाई स्कूल परीक्षा–2022 में छात्रा से सम्बन्धित पृष्ठ की छायाप्रति स्वःप्रमाणित करके दाखिल कर रहा हूँ, जिस पर क्रमशः **प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5** डाला गया। **इस साक्षी ने जिरह में बताया** कि जिस समय पीड़िता का प्रवेश विद्यालय में हुआ, वह कार्यरत था। उसके विद्यालय में पीड़िता ने कक्षा–9 में प्रवेश लिया। कक्षा–10 तक पढ़ाई की थी। कक्षा–10 फेल हो गयी थी। उसके विद्यालय में कक्षा–8 की टी०सी० लेकर प्रवेश लिया गया था। कक्षा–10 में फेल होने के बाद दोबारा प्रवेश नहीं लिया। दाखिले के समय जन्मतिथि प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में कोई सत्यापन नहीं हुआ।

11. अभियोजन की ओर से परीक्षित **साक्षी पी०डब्ल्यू०–4 सनीउल्ला खां** ने सशपथ मुख्य बयान में बताया कि दिनांक 22.04.2022 को थाना सिंगरामऊ में बतौर हेड कॉस्टेबल के पद पर तैनात था। वादिनी मुकदमा श्यामा के लिखित प्रार्थनापत्र को सी०सी०टी०एन०एस० को बोल–बोलकर अक्षरशः अंकित कराये थे। वादिनी के प्रार्थनापत्र पर मुकदमा अपराध संख्या–27/2022, अन्तर्गत धारा–363, 366 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7/8 पॉक्सो एक्ट विरूद्ध अज्ञात पंजीकृत कराये थे। चिक शामिल पत्रावली को देखकर थाना प्रभारी कमलेश कुमार के हस्ताक्षर की शिनाक्त किया, जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया। इस मुकदमें की कायमी जी०डी०, नकल रपट नं०–31, समय 19.57 बजे दिनांक 22.04.2022 को कायमी जी०डी०, सी०सी०टी०एन०एस० कॉ० कृष्ण कुमार को बोल–बोलकर अंकित कराया था। कायमी जी०डी० शामिल पत्रावली को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही कायमी जी०डी० है, जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था। **इस साक्षी ने जिरह में बताया** कि घटना कब की है, उसे याद नहीं है। वादिनी तहरीर 22.04.2022 को लेकर थाने पर आयी थी। पांच दिन देरी से क्यों आयी, वह नहीं बता सकता। तहरीर कौन लिखा था, किसके द्वारा लिखायी गयी थी, उसने सत्यापन नहीं किया। एफ०आई०आर० पर थानाध्यक्ष के हस्ताक्षर है। उम्र के बारे में विवेचक बता सकते है। यह कहना गलत है कि एफ०आई०आर० एन्टी टाइम व एन्टी डेटेड वादी मुकदमा के दबाव में दर्ज की गयी थी।

12. अभियोजन की ओर से परीक्षित **साक्षी पी०डब्ल्यू०–5 एस०आई० गिरीश मिश्रा** ने सशपथ मुख्य बयान में बताया कि दिनांक 22.04.2022 को थाना सिंगरामऊ पर उप–निरीक्षक के पद पर तैनात था। उसी दिन वादिनी मुकदमा श्यामा के लिखित प्रार्थनापत्र पर मुकदमा अपराध संख्या 27/2022 अन्तर्गत धारा–363, 366 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–7/8 पॉक्सो एक्ट थाना स्थानीय पर पंजीकृत कर विवेचना ग्रहण किया। उसी दिन नकल तहरीर हिन्दी वादिनी व

कायमी जी०डी० की नकल कर सी०डी० में अंकित किया और एफ०आई०आर० लेखक हे० कॉ० सनाउल्ला खां का बयान अंकित किया। दिनांक 23.04.2022 को वादिनी मुकमदा श्यामा का बयान अंकित किया और उसकी निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी **प्रदर्श क–8** तैयार किया। उसी दिन गवाहान राजकुमार व संजय का बयान अंकित किया। दिनांक 24.04.2022 को पीड़िता का धारा–161 दं०प्र०सं० का बयान महिला आराक्षी प्रियंका यादव द्वारा अंकित किया गया। प्राप्त कर, अवलोकन कर सी०डी० में अंकित किया एवं पीड़िता को डॉक्टरी परीक्षण कराने हेतु रवाना किया गया। दिनांक 26.04.2022 को पीड़िता की उम्र के सम्बन्ध में वादिनी द्वारा पीड़िता के हाईस्कूल का पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ, अवलोकन कर सी०डी० में अकिंत किया, जिसमें पीड़िता की जन्मतिथि 07.07.2005 अंकित है। उसी दिन गवाहान शोभनाथ का बयान अंकित किया तथा पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० न्यायालय द्वारा अंकित किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० का अवलोकन कर सी०डी० में अंकित किया तथा पीड़िता को सी०डब्ल्यू०सी० के समक्ष पेश किया गया। आदेश का अवलोकन कर सी०डी० में अंकित किया। पीड़िता के धारा–161 व 164 दं०प्र०सं० के बयान के अवलोकन से उक्त अपराध संख्या में धारा–376 आई०पी०सी० व धारा–3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी तथा धारा–7/8 पॉक्सो एक्ट का लोप किया गया। अब अग्रिम विवेचना धारा–363, 366, 376 आई०पी०सी० व 3/4 पॉक्सो में की जाएगी। बढ़ोत्तरी जी०डी० को इस साक्षी ने **प्रदर्श क–9** के रूप में साबित किया। दिनांक 28.04.2022 को मुखबीर खास की सूचना पर अभियुक्त बबुआ उर्फ सुरजीत उर्फ विश्वजीत को पुलिस हिरासत में लिया गया। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य से गिरफ्तारी जी०डी० **प्रदर्श क–10** व गिरफ्तारी मेमो **प्रदर्श क–11** को साबित किया है। अभियुक्त का बयान अंकित किया और उसे 14 दिन की रिमाण्ड हेतु प्रेषित किया गया। दिनांक 14.05.2022 को डॉ० अवधेश, वादिनी मुकदमा का मजीद बयान अंकित किया। तमामी विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त बबुआ उर्फ सुरजीत उर्फ विश्वजीत के विरूद्ध जुर्मा धारा–363, 366, 376 भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3/4 पॉक्सों एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया, जिस पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त किया, जिस पर प्रदर्श क–12 डाला गया। **इस साक्षी ने जिरह में बताया** कि घटना 17.04.2022 की है, जबकि मुकदमा 22.04.2022 को लिखायी गयी है। वादिनी पांच दिन बाद मुकदमा लिखाने आयी थी। पांच दिन देरी का कारण उसने बताया कि पहले उसने इधर–उधर व नात–हित में खोज किया, जब वह नहीं मिली, तब पांच दिन बात तहरीर दिया। एफ०आई०आर० में सुरजीत का नाम नहीं है। एफ०आई०आर० के पहले सुरजीत के नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसमें उसका नाम नहीं है। दूसरे पर्चे में पीड़िता की उम्र 17 वर्ष

लिखी है। पीड़िता ने बयान में बताया था कि बबुआ उर्फ सुरजीत उसे कानपुर ले गया था। धारा–161 दं०प्र०सं० के बयान में पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त बबुआ उर्फ सुरजीत बहला–फुसलाकर ले गया था। उसने इस बात की पुष्टि नहीं किया कि पीड़िता व उसके माता–पिता के बयान में विरोधाभाष है। पीड़िता के भाई ने 17.04.2022 को अभियुक्त बबुआ उर्फ सुरजीत के द्वारा बहला–फुसलाकर ले जाने की बात बताया है, जिसकी पुष्टि वादिनी ने दिनांक 17.04.2022 को जाना बताया है। शादी के बारे में कोई प्रमाणपत्र नहीं दिया। पीड़िता किस साधन से, किस स्थान पर जाकर ठहरी, उसका सत्यापन नहीं किया। यह सही है कि पीड़िता ने धारा–164 दं०प्र०सं० के बयान में अपनी मर्जी से घर से भागना बताया है। मन्दिर में शादी करना भी बताया है। पीड़िता अभियुक्त के साथ पकड़ी नहीं गयी थी। उनका कॉल डिटेल नहीं लिया गया। पीड़िता ने मेडिकल कराने से इन्कार कर दिया। जन्मतिथि सम्बन्धी प्रमाणपत्र का सत्यापन नहीं किया था, न ही कपड़े फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गये थे, क्योंकि पीड़िता ने मेडिकल कराने से इन्कार कर दिया था, इसलिए सैम्पल नहीं लिया गया था।

13. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताया गया तथा साक्षीगण पी०डब्ल्यू०–1 व लगायत पी०डब्ल्यू०–2 द्वारा गलत व बनावटी बयान दिया जाना बताया। साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 के बयान के सन्दर्भ में कथन किया कि गलत जन्मतिथि लिखायी गयी है। साक्षी पी०डब्ल्यू०–4 के सम्बन्ध में कुछ कहने से इन्कार किया तथा साक्षी पी०डब्ल्यू०–5 द्वारा गलत प्रपत्र साबित किया जाना बताया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त ने अपने विरूद्ध रंजिशन मुकदमा चलना बताया तथा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया गया।

14. मैंने राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया।

निष्कर्ष

15. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादिनी मुकदमा की 17 वर्षीय पुत्री को दिनांक 17.04.2022 को समय करीब 07.00 बजे अभियुक्त बबुआ उर्फ सुरजीत उर्फ विश्वजीत ने बहला–फुसलाकर उसके माता–पिता की संरक्षकता से शादी व अयुक्त सम्भोग के उद्देश्य से बाहर ले गया तथा उसके साथ बलात्संग/प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया। अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के माध्यम से अभियोजन कथानक साबित किया गया है। अतः अभियुक्त को लगाये गये आरोपों में दोषसिद्ध किया जाए।

16. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से लिखायी गयी है। पीड़िता स्वयं अपनी मर्जी से गयी है। पीड़िता

घटना के समय बालिग थी। उसे बहलाया–फुसलाया नहीं गया है और न ही अयुक्त सम्भोग के उद्देश्य से उसके माता–पिता की संरक्षकता से बाहर ले जाया गया है और न ही बलात्संग की घटना कारित की गयी है। पीड़िता के बयान धारा–161 व 164 दं०प्र०सं० तथा न्यायालय में दिये गये बयानों में पर्याप्त विरोधाभाष है। पीड़िता के कथन का समर्थन उसके माता के बयान से नहीं होता है। पीड़िता ने अपना चिकित्सीय परीक्षण कराने से इन्कार किया है। इस प्रकार अभियोजन कथानक साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

17. हस्तगत प्रकरण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा– से सम्बन्धित है, इसलिए न्यायालय को हस्तगत प्रकरण में मुख्य रूप से दो बिन्दु निर्धारित करने हैंः–

(1) क्या घटना की तिथि पर पीड़िता अवयस्क थी?

(2) क्या अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के माध्यम से घटना में अभियुक्त की संलिप्तता के लिए आवश्यक अवयवों को इस प्रकार से साबित किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा–29 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत उपधारणा की जा सकें।

बिन्दु संख्या–1–क्या घटना की तिथि पर पीड़िता अवयस्क थी?

18. मामले में यह देखना है कि क्या प्रश्नगत मामले में पीड़ित की आयु 18 वर्ष से कम थी। उपरोक्त के संदर्भ में आयु को निर्धारित किये जाने के संदर्भ में निम्नलिखित विधि–व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण है–माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य ए.आई.आर. 2013 सुप्रीम कोर्ट पेज 3467** के प्रकरण में बलात्संग व व्यपहरण के अपराध से सम्बन्धित पीड़िता की आयु के निर्धारण के लिए यह विधि व्यवस्था दी कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम 2000 व उससे सम्बन्धित नियम 12 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) नियमावली 2007 में जो प्रक्रिया किशोर की आयु निर्धारण के लिए दी गयी है, उसी प्रक्रिया के आधार पर बलात्संग व व्यपहरण से सम्बधित पीड़ित की आयु का भी निर्धारण किया जाना चाहिए। उपरोक्त विधि व्यवस्था के उपरान्त माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **महादेव बनाम महाराष्ट्र राज्य व एक अन्य (2013) 14 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 637** तथा **मध्य प्रदेश राज्य बनाम अनूप सिंह (2015) 7 सुप्रीम कोर्ट केसेज पेज 773** के प्रकरण में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने बलात्संग व व्यपहरण की पीड़िता की आयु का निर्धारण नियम 12 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) नियमावली 2007 में दी गयी प्रक्रिया के आधार पर ही किये जाने की विधि व्यवस्था दी है। उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नवीनतम विधि **पी० युवप्रकाश बनाम राज्य जरिये इन्सपेक्टर ऑफ पुलिस 2023 Live Law (SC) 538** के प्रस्तर 13 में कहा

गया कि जिस मामले में पीड़िता की आयु का विवाद पॉक्सो अधिनियम के तहत होता है, तो ऐसे मामले में किशोर न्याय अधिनियम की धारा–94 के प्रावधानों के तहत न्यायालय आयु निर्धारण करेगा।

19. यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि उपरोक्त वर्णित नियम 12 व 2015 के अधिनियम में आयु निर्धारण के बाबत प्रक्रिया में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ। उपरोक्त वर्णित नियम 12 में आयु निर्धारण के संदर्भ में हाईस्कूल/कक्षा 10 के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि को प्रथम वरीयता दी गयी थी और उसके उपलब्ध न होने की दशा में प्रथम बार जिस स्कूल में गये (प्ले स्कूल छोड़कर) में अंकित जन्मतिथि को द्वितीय वरीयता दी गयी, **जबकि किशोर न्याय (बालको की देखेरख व संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा–94 के अनुसार शैक्षणिक अभिलेख के आधार पर आयु निर्धारण की उक्त दोनों श्रेणियों को समायोजित कर एक श्रेणी बनायी गयी और उक्त प्राविधान में विद्यालय के अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि या मैट्रीकुलेशन या समकक्ष के प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि को प्रथम वरीयता दी गयी अर्थात् नवीन अधिनियम में भी विद्यालय के अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि को ही आयु के निर्धारण के बाबत सर्वोच्च वरीयता दी गयी है। जबकि शैक्षणिक अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में उक्त नियम 12 व 2015 के अधिनियम में अगली वरीयता स्थानीय निकाय के द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र को दी गयी और उसके भी उपलब्ध न होने की दशा में चिकित्सक द्वारा निर्धारित की गयी उम्र को वरीयता दी गयी है।**

20. हस्तगत प्रकरण में वादिनी मुकदमा ने तहरीर प्रदर्श क–1 में पीड़िता की उम्र 17 वर्ष बताया है। पीड़िता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–161 व 164 दं०प्र०सं० में भी अपनी उम्र 17 वर्ष बतायी है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उम्र के सम्बन्ध में यह तर्क दिया गया कि पीड़िता व उसकी माता जून में जन्मदिन मनाने की बात बताती है तथा उसकी जन्मतिथि नहीं बता पा रही है। विद्यालय में अपने बेटे के द्वारा नाम लिखाया जाना बताती है, जबकि पीड़िता अपने माता के द्वारा नाम लिखाना बताती है। इसलिये जो जन्मतिथि शैक्षणिक प्रमाणपत्र में लिखी गयी है, वह झूठी है। पीड़िता घटना के समय बालिग थी। इस सम्बन्ध में पीड़िता की उम्र के बाबत शैक्षणिक अभिलेख में हाईस्कूल का अंकपत्र व प्रवेश पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा शैक्षणिक प्रपत्रों को साबित करने के लिए साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 राम कुमार यादव, जो सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य है, उनको परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने हाईस्कूल के प्रवेश पत्र को प्रदर्श क–3, टी०सी० को प्रदर्श क–4 तथा हाईस्कूल के गजट को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है। इन प्रपत्रों में पीड़िता की जन्मतिथि 07.07.2005 अंकित है। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि पीड़िता का उसके विद्यालय में प्रवेश उसके सामने ही कक्षा–9 में हुआ है और वह कक्षा–10 में फेल हुई है। उसका प्रवेश कक्षा–

8 की टी०सी० को देखकर किया गया है। इस प्रकार विद्यालय का हाईस्कूल प्रमाणपत्र से पीड़िता की जन्मतिथि 07.07.2005 साबित होती है। पीड़िता की मां ने अपने मुख्य बयान में पीड़िता की उम्र 17 वर्ष बताया है तथा कक्षा–9 में प्रवेश के लिए उसके भाई वीरू को जाने की बात बतायी है। बयान देते समय 20.09.2023 को उसकी उम्र 18 वर्ष होना बतायी है, परन्तु उसे जन्मतिथि व वर्ष याद नहीं है, लेकिन जून माह में जन्मदिन मनाये जाने की बात कही जाती है। जून माह में जन्मदिन मनाने की बात पीड़िता भी कहती है, परन्तु धारा–94 में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार सर्वप्रथम शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जो हाईस्कूल का है, उस पर विश्वास किया जाएगा। उसकी मौजूदगी में अन्य तथ्य पर विचार नहीं किया जाएगा। घटना की तिथि 17.04.2022 बतायी गयी है। इस प्रकार घटना की तिथि पर पीड़िता की उम्र 16 वर्ष 9 माह 10 दिन होती है, जो 18 वर्ष से कम आयु है। इस प्रकार पीड़िता घटना की तिथि पर नाबालिग थी। तदनुसार प्रथम बिन्दु निस्तारित किया जाता है।

<u>बिन्दु संख्या–2–</u> क्या अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के माध्यम से घटना में अभियुक्त की संलिप्तता के लिए आवश्यक अवयवों को इस प्रकार से साबित किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा–29 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत उपधारणा की जा सकें।

21. इस सन्दर्भ में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि तहरीर प्रदर्श क–1 में दिनांक 17.04.2022 समय 07.00 बजे बहला–फुसलाकर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ले जाने की बात बतायी गयी है और काफी खोजबीन करने के बाद कोई पता नहीं चलने पर दिनांक 22.04.2022 को प्रार्थनापत्र देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–6 समय 19.57 पर दर्ज करायी, जिसकी कायमी जी०डी० प्रदर्श क–7 है। घटना के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण साक्षी पीड़िता है, जिसके साथ घटना घटित हुई है। पीड़िता ने धारा–161 दं०प्र०सं० के बयान में यह बताया है कि दिनांक 18.04.2022 को शाम 06.00 बजे बबुआ उसे लेकर कानपुर गया। वह दोनों दो साल से बात कर रहे थे। दोनों कानपुर जाकर शादी कर लिये। कानपुर में छः दिन पति–पत्नी की तरह रहे और शारीरिक सम्बन्ध भी बनाया। उसके बाद उसके गांव के किशुन ने फोन किया कि तुम दोनों घर आ जाओं, तुम दोनों की शादी करा दूंगा। वह तथा बबुआ व उसकी मां तीनों लोग 24.04.2022 को सुबह 05.00 बजे घर आये। बबुआ उसे तथा उसकी मां को घर छोड़कर चला गया। पीड़िता ने धारा–164 दं०प्र०सं० के बयान में बताया कि वह अपने घर से 18.04.2022 को शाम 06.00 बजे भाग गयी थी। वह सुरजीत के साथ भागी थी। वह अपनी मर्जी से अपने घर से भागी थी। उसे किसी ने भगाया नहीं। सुरजीत को ही उसने अपने घर के पास बुलाया था। वह भागकर कानपुर गये, वहाँ शारीरिक सम्बन्ध बनाया। अपनी मर्जी से बनाया था। उन दोनों ने मन्दिर में शादी भी कर ली थी। इस प्रकार पीड़िता धारा–161 व 164

दं०प्र०सं० में स्वयं से अभियुक्त सुरजीत के साथ कानपुर जाना तथा उससे शादी करके शारीरिक सम्बन्ध स्थापित किये जाने की बात को स्वीकार करती है। वह अपनी मर्जी से जाना बताती है। परन्तु पीड़िता मुख्य बयान में यह बताती है कि वह घटना के समय 16 वर्ष की थी। 18.04.2022 की शाम की 06.00 बजे वह घर से निकलकर शौच के लिए खेत गयी थी। उसी समय उसका पड़ोसी बबुआ उर्फ सुरजीत उसे बहला–फुसलाकर व शादी का झांसा देकर कानपुर ले गया। वहां एक कमरे में रखा, कितना दिन रखा, याद नहीं है। कमरे में उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया। वह मना करती थी, तो उसे मारता–पीटता था और धमकी देता था कि अगर किसी से कहोगी, तो जान से मार देगा। दो दिन बाद बबुआ के घर से फोन आया कि उसकी मां ने मुकदमा कर दिया है। तब बबुआ उसे कानपुर से लाकर अपने घर पर छोड़कर चला गया। तब सुरजीत की मां उसे उसके घर लाकर घर के बाहर छोड़कर चली गयी। तब उसने अपनी मां को घटना की पूरी बात बतायी थी। बबुआ उर्फ सुरजीत ने उसे धमकी दिया था कि अगर उसके खिलाफ कहीं बयान देगी तो उसे जाने से मार देगा। मुकदमा उसकी मां ने लिखाया था। महिला पुलिस ने उसका बयान लिया था। सुरजीत की धमकी के कारण उसने सही बात नहीं बतायी थी। पुलिस वाले डॉक्टरी परीक्षण कराने ले गये थे, लेकिन सुरजीत के डराने–धमकी की वजह से अपना डॉक्टरी परीक्षण नहीं करायी थी। पुलिस वालो द्वारा उसका बयान अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० कराया गया था। बयान उसे पढ़कर सुनाया गया, तो उसने कहा कि सुरजीत के डराने–धमकाने के कारण सही बयान न देकर, यह बयान दिया था। उसने जिरह में भी यह बात बतायी कि वह घर से जब भागी थी, तो शाम का 06.00 बजे का समय था। धारा–164 दं०प्र०सं० के बयान में लिखी उपरोक्त बातें कि वह अपनी मर्जी से भागी थी, मजिस्ट्रेट के सामने उसने बबुआ के डराने के आधार पर दिया था। उसने जिरह में यह भी बताया कि उसे रूम में बन्द करके रखता था। कहीं घुमाने नहीं ले जाता था। रूम में ही रहते थे। उसने बस, ऑटो से जाते समय किसी से सहायता नहीं मांगी थी। रूम में किचन बाथरूम सब था। बाथरूम कमरे से बाहर था। उसने भागने की कोशिश नहीं की थी। उसने जिरह में पुनः दोहराया की धारा–164 दं०प्र०सं० का बयान धमकी देकर दिलाया गया था। सुरजीत ने धमकी दिया था। दो दिन पहले धमकी दिया था। उसने जिरह में यह भी बताया कि उसके घर में शौचालय है, लेकिन शाम को वह बाहर शौच के लिए जाती थी। सुबह अपने घर के शौचालय में जाती थी। चिकित्सीय प्रपत्र, जिसमें यह लिखा है कि वह अपनी मर्जी से अपना मेडिकल नहीं कराना चाहती है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। यह बात उसने डर के कारण मेडिकल पर लिखा था। इस प्रकार पीड़िता धारा–164 व 161 दं०प्र०सं० के बयान में बतायी गयी बातें अभियुक्त के डराने–धमकाने पर बताना बताती है तथा मेडिकल कराने से इन्कार करने की बात भी अभियुक्त द्वारा डराने

पर, इन्कार करने की बात बताती है। इस प्रकार पीड़िता घटना का समर्थन करते हुए यह कहती है कि उसे अभियुक्त के द्वारा बहला–फुसलाकर उसके माता–पिता की संरक्षकता से बाहर ले जाया गया। कानपुर में उससे शादी की गयी तथा एक कमरे में रखकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध जबरदस्ती बनाये गये। पीड़िता की उम्र 17 वर्ष प्रथम बिन्दु के निस्तारण से स्पष्ट होती है। इस प्रकार धारा–29 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत उपधारणा से लिए अभियोजन पक्ष ने घटना से सम्बन्धित आवश्यक अवयवों को साबित किया, इसलिए यह उपधारणा की जाती है कि अभियुक्त के द्वारा पीड़िता के साथ घटना कारित की गयी है। तदनुसार द्वितीय बिन्दु निस्तारित किया जाता है।

22. अब बचाव पक्ष को यह साबित करना है कि घटना में अभियुक्त की कोई संलिप्तता नहीं रही है। उसे झूठा व जबरदस्ती मुकदमें में फंसाया गया है। इस सन्दर्भ में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सबसे पहला तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। साथ ही साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट, वादिनी मुकदमा के बयान में घटना की तिथि 17.04.2022 बतायी गयी है, जबकि पीड़िता अपने बयान अन्तर्गत धारा–161, 164 दं०प्र०सं० व न्यायालय में दिये गये बयानों में घटना की तिथि 18.04.2022 बताती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त को झूठा फसाया गया है। जहाँ तक अभियोग को विलम्ब से पंजीकृत कराने जाने का कथन है, तो तहरीर प्रदर्श क–1 से स्पष्ट है कि घटना दिनांक 17.04.2022 की बतायी गयी है और प्रथम सूचना रिपोर्ट 22.04.2022 को समय 19.57 पर दर्ज करायी गयी है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में तहरीर के अनुसार ही पांच दिन का विलम्ब हुआ है। विलम्ब के सन्दर्भ में तहरीर में ही यह अंकित है कि हम लोगों द्वारा काफी खोजबीन करने पर उसका कोई पता नहीं चल रहा है। अतः उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। वादिनी मुकदमा ने मुख्य बयान में तहरीर को साबित करते हुए यह बताया कि उसके परिवार के लोगों के द्वारा लड़की का काफी खोजबीन किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला, तब थक–हार कर वह थाने में जाकर घटना के बारे में रिपोर्ट लिखायी। बाद में उसे पता चला कि उसके गांव का लड़का बबुआ भी उसी दिन से गायब है, जिस दिन से उसकी लड़की गयी है। सुरजीत ने उसके घर के मोबाइल पर फोन करके कहा कि वह लड़की को लेकर चला आया है, कोई कार्यवाही मत करना, लड़की उसके साथ है। जिरह में उसने बताया कि लड़की के जाने के पांच दिन बाद फोन किया था। बबुआ ने ही उसे फोन किया था कि उसकी लड़की को लेकर चला गया है। जिरह में वह यह भी बताती है कि उसकी लड़की उसे किस तारीख को मिली थी, उसे याद नहीं है। उसकी लड़की मई महीने में वापस आयी थी। मई महीने में किस तारीख को वापस आयी थी, नहीं बता सकती। इस सन्दर्भ में पीड़िता ने मुख्य बयान

में बताया कि दो दिन बाद बबुआ के घर से फोन आया कि उसकी मां ने मुकदमा कर दिया है, तब वह अपने घर लाकर, छोड़कर चला गया। विवेचक, जो साक्षी पी०डब्ल्यू०–5 के रूप में गिरीश कुमार मिश्रा ने बताया कि मुकदमा वादिनी पांच दिन इस कारण से देरी से आयी थी, कि पहले उसने इधर–उधर नात हित में खोज किया, जब वह नहीं मिली, तब थाने पर सूचना दिया। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि लैंगिक अपराध के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में विलम्ब होना स्वाभाविक है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **दीपक बनाम हरियाणा राज्य (2015) 4 एस.सी.सी. 762, स्टेट ऑफ यू०पी० बनाम मनोज कुमार ए.आई.आर. 2009 एस.सी. 711 तथा संतोष मूल्य बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक ए.आई.आर. 2010 एस.सी. 224**7 में यह अवधारित किया गया कि न्यायालय को यह तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि लैंगिक अपराध और विशेष रूप से बलात्संग के अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में कई कारणों से विलम्ब होता है। एक महत्वपूर्ण कारण परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा, पीड़ित की मानसिक स्थिति, भय, शर्म और संकोच होता है। ऐसे मामलों में शान्ति से विचार करने के पश्चात और घटना से उत्पन्न होने वाले समस्त परिणामों पर विचार करने के उपरान्त ही आमतौर पर मुकदमा दर्ज कराया जाता है। यदि अभियोजन विलम्ब का संतोषजनक कारण दे देता है, तो केवल विलम्ब के आधार पर अभियोजन मामला अस्वीकार नहीं किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में विलम्ब का कारण अभियोजन पक्ष ने स्पष्ट रूप से बताया है, इसलिए विलम्ब के आधार पर अभियोजन कथानक को असत्य नहीं कहा जा सकता है। जहाँ तक वादिनी मुकदमा एफ०आई०आर० तथा पीड़िता के द्वारा घटना की तिथि के सन्दर्भ में दिये गये बयान कि वादिनी मुकदमा दिनांक 17.04.2022 की घटना बताती है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी 17.04.2022 की शाम की 07.00 बजे की घटना बतायी जाती है, जबकि पीड़िता अपने सभी बयानों में घटना की तिथि 18.04.2022 की शाम की घटना बताती है। यहाँ पर यह तथ्य इन्कार नहीं है कि पीड़िता अभियुक्त के साथ कानपुर गयी है और उसके साथ अभियुक्त के द्वारा शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया है। साथ ही साथ पीड़िता से मन्दिर में शादी की गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि–व्यवस्था **स्टेट ऑफ पंजाब बनाम गुरमीत सिंह (1996) 2 एस०सी०सी० 384** में यह अवधारित किया कि बलात्संग के मामले में पीड़िता के बयान में मामूली विरोधाभाष जैसे समय या छोटे विवरण में अन्तर के आधार पर अभियोजन का मामला अविश्वसनीय नहीं हो जाता, यदि उसका मुख्य कथन विश्वसनीय है। बालकों के विरूद्ध लैंगिक अपराध के मामले में यदि आयु, घटना की तिथि या समय के सम्बन्ध में विरोधाभाष है, तो यह देखा जाना चहिये कि वह विरोधाभाष मामूली है अथवा गम्भीर। हस्तगत प्रकरण में घटना का जो समय है, वह 6 से 7 बजे का है। पीड़िता घटना का समय 06.00 बजे बताती है, जब वह घर से जाती है तथा उसकी माता 07.00 बजे की

घटना बताती है। यह अन्तर स्वाभाविक है, क्योंकि पीड़िता स्वयं अपने जाने का समय जानती है। पीड़िता के जाने के बाद जब उसकी माता को पीड़िता के जाने का पता चला होगा, उसी समय को वादिनी ने तहरीर तथा अपने बयानों में बताया है। जहाँ तक तिथि की भिन्नता का प्रश्न है, तो उसमें भ्रम होना स्वाभाविक है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश की घटना है और पीड़िता की माता बहुत पढ़ी–लिखी हो और घटना विवरण उसने कहीं लिखकर रखा हो, ऐसा नहीं है। जैसा कि वादिनी मुकदमा ने जिरह के पृष्ठ–3 की अन्तिम लाइन में यह बताया है कि वह पढ़ी–लिखी नहीं है। वह सन् नहीं बता सकती है। इस प्रकार जब घटना से सम्बन्धित अन्य तथ्य साबित हैं, उस दशा में केवल तिथि की भिन्नता के आधार पर अभियोजन कथानक झूठा नहीं माना जा सकता।

23. बचाव पक्ष के द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया गया है, बल्कि वह जब अस्पताल में गयी है, तो उसने स्वयं अपना चिकित्सीय परीक्षण कराने से इन्कार किया है। यदि घटना में सत्यता होती, तो पीड़िता अपना चिकित्सीय परीक्षण अवश्य कराती। इस तथ्य का स्पष्टीकरण पीड़िता के द्वारा अपने बयान तथा जिरह में उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने उसे डराया धमकाया था, जिसके प्रभाव में वह थी। इसलिए उसने अपना चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि घटना की रिपोर्ट दिनांक 22.04.2022 को लिखायी गयी है और पीड़िता मेडिकल हेतु 25.04.2022 को अस्पताल भेजी गयी है। वह अपने घर पर दिनांक 24.04.2022 को पहुंची है, उसी दिन उसका बयान अन्दर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० दर्ज हुआ है। इससे स्पष्ट है कि अभियुक्त से मुक्त होने के दूसरे दिन ही पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण हुआ है। ऐसी परिस्थिति में पीड़िता पर अभियुक्त का प्रभाव होना अधिसम्भाव्य है और पीड़िता ने स्पष्ट रूप से मुख्य बयान तथा जिरह में अभियुक्त द्वारा डराये जाने के कारण चिकित्सीय परीक्षण न कराने का कथन किया है। चूंकि पीड़िता ने स्पष्ट रूप से स्वयं के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाये जाने का कथन सभी बयानों में किया है। इसलिए चिकित्सीय परीक्षण न कराये जाने से अभियोजन कथानक असत्य नहीं हो जाता है।

24. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि पीड़िता ने धारा–161 व 164 दं०प्र०सं० के बयान में स्वयं को स्वतः अभियुक्त के साथ अपनी मर्जी से जाना बताया और शादी भी अपनी मर्जी से करना बताया है, जबकि उसने न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में स्वयं के साथ जबरदस्ती किये जाने और बहला–फुसलाकर ले जाने का कथन किया है। इस प्रकार पीड़िता के बयानों में विरोधाभाष है। अतः पीड़िता के बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, वह सच्चे साक्षी की श्रेणी में नहीं आती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **राय संदीप उर्फ दीपू बनाम स्टेट (2012) 8 एस.सी.सी.** में यह अवधारित किया गया कि ऐसे साक्षी का कथन पढ़ने से ही बिना

किसी संकोच के ऐसा प्रतीत कराये कि वह बिल्कुल विश्वसनीय है, उसका बयान शुरू से लेकर अन्त तक एक ही रूप में होना चाहिए। उसका बयान समय, स्थान आदि के सन्दर्भ में पूर्णतः सटीक होना चाहिए। पीड़िता के द्वारा दिये गये बयान में किसी भी विरोधाभाष का स्थान नहीं होना चाहिए। उसे सच्चे साक्षी की श्रेणी में माना जा सकता है। यदि हस्तगत प्रकरण के तथ्यों को देखा जाए, तो पीड़िता ने धारा–161 व 164 दं०प्र०सं० के बयान में स्वयं अपनी मर्जी से अभियुक्त के साथ कानपुर जाना, वहाँ शादी करना तथा शारीरिक सम्बन्ध बनाये जाने का कथन किया है। इस तथ्य को उसने मुख्य बयान तथा जिरह में भी दुहराया है। पीड़िता ने धारा–161 व 164 के बयान को अभियुक्त के दबाव में दिया जाना बताया है। इस प्रकार यह दोनों बयान स्वैच्छिक नहीं थे, परन्तु सभी बयानों में मूल घटनाक्रम को पीड़िता ने क्रमवार बताया है। चूंकि पीड़िता सत्रह वर्षीय नाबालिग बच्ची है, इसलिए उसकी इच्छा/मर्जी विधिक रूप से महत्व नहीं रखती है। पीड़िता के बयानों में कोई भी ऐसा तात्विक विरोधाभाष नहीं है, जो घटना को संदिग्ध बनाये अथवा पीड़िता के बयानों में अविश्वास करने का आधार उत्पन्न करें। अतः बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में यह न्यायालय कोई बल नहीं पाती है कि पीड़िता के बयानों में विरोधाभाष है, जिससे वह सच्चे साक्षी के श्रेणी में नहीं आती है और उसके बयानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

25. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क दिया गया कि अभियुक्त उस समय जेल में था, जब पीड़िता चिकित्सीय परीक्षण, धारा–161 व 164 दं०प्र०सं० का बयान अंकित हुआ। इसलिए अभियुक्त के डराने धमकाने का प्रभाव उस वक्त नहीं था। अतः पीड़िता का कथन गलत है। अभियुक्त का गिरफ्तारी प्रपत्र प्रदर्श क–10 दिनांक 28.04.2022 का है। पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा–161 दं०प्र०सं० दिनांक 24.04.2022 का है तथा चिकित्सीय प्रपत्र दिनांक 25.04.2022 का है। साथ ही साथ पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा–164 दं०प्र०सं० दिनांक 26.04.2022 का है। इसलिए पीड़िता के द्वारा जब उपरोक्त दोनों बयान व चिकित्सीय परीक्षण हुआ, उस समय अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में नहीं था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त को डराने धमकाने का अवसर प्राप्त नहीं है। अतः बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क में यह न्यायालय कोई बल नहीं पाती है।

26. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। दिनांक 17.04.2022 को अभियुक्त उसे बहला–फुसलाकर उसके माता–पिता की संरक्षकता से बाहर अयुक्त सम्भोग व शादी के लिए कानपुर ले गया। वहाँ पर पीड़िता के साथ शादी करके शारीरिक सम्बन्ध बनाया, जब पीड़िता काफी खोज–बीन करने के बाद भी नहीं मिली, तब वादिनी मुकदमा ने अभियोग पंजीकृत कराया एवं विलम्ब का स्पष्ट कारण दर्शित किया।

पीड़िता के बयान से यह साबित होता है कि उसे बहला–फुसलाकर, डरा–धमकाकर ले जाया गया। अभियुक्त के डर में उसने अपना धारा–161 व 164 दं०प्र०सं० का बयान दिया तथा चिकित्सीय परीक्षण कराने से इन्कार किया। पीड़िता के बयानों में कोई भी तात्विक विरोधाभाष नहीं है, जिसके आधार पर उसे अविश्वसनीय साक्षी की श्रेणी में रखा जा सके। घटना का समर्थन अन्य साक्षियों के द्वारा दिये गये बयान से भी होता है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के माध्यम से अभियोजन कथानक को साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त बबुआ उर्फ सुरजीत उर्फ विश्वजीत लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–363, 366, 376(i) भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त बबुआ उर्फ सुरजीत उर्फ विश्वजीत को विशेष सत्र परीक्षण संख्या–83 सन् 2022, मुकदमा अपराध संख्या–27 सन् 2022 स्टेट बनाम बबुआ उर्फ सुरजीत उर्फ विश्वजीत, थाना सिंगरामऊ, जनपद जौनपुर के प्रकरण में लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–363, 366, 376(i) भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में दोषसिद्ध किया जाता है। दोषसिद्ध बबुआ उर्फ सुरजीत उर्फ विश्वजीत जमानत पर है, उसके जमानतनामें व बन्धपत्र निरस्त करते हुए प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। दोषसिद्ध को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

दोषसिद्ध बबुआ उर्फ सुरजीत उर्फ विश्वजीत को दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 08.07.2026 को पेश हो।

दिनांकः–06.07.2026

(सुरेन्द्र प्रताप यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्/
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम,
जौनपुर।
(ID. No.-UP1668)

<u>दिनांक–08.07.2026</u>

पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हुई।

दोषसिद्ध बबुआ उर्फ सुरजीत उर्फ विश्वजीत न्यायिक अभिरक्षा में है।

दण्ड के प्रश्न पर दोषसिद्ध बबुआ उर्फ सुरजीत उर्फ विश्वजीत के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

दोषसिद्ध बबुआ उर्फ सुरजीत उर्फ विश्वजीत के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वह 25 वर्षीय नवयुवक है। उसका यह प्रथम अपराध है। उसके परिवार में केवल एक विकलांग व वृद्ध माता हैं, जिसके भरण–पोषण का भार उसी पर है। वह अत्यन्त गरीब है एवं मजदूरी करके जीवन–यापन करता है। अतः उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह कथन किया गया कि दोषसिद्ध द्वारा अत्यन्त गम्भीर अपराध कारित किया गया है तथा कारित अपराध से पीड़िता के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः उसे अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाए।

दोषसिद्ध को धारा–363, 366, 376(i) भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3/4 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम में दोषसिद्ध किया गया है। धारा–376(i) भारतीय दण्ड संहिता में यह उपबन्ध है कि जो कोई व्यक्ति बलात्संग करता है, वह कम से कम 10 वर्ष तक के कारावास, जो आजीवन कारवास तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। धारा–4 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम में यह उपबन्ध है कि जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास से दण्डनीय होगा, दण्डित किया जाएगा। धारा–42 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आनुकल्पिक दण्ड का उपबन्ध है। उपरोक्त दोनों धाराएं एक ही कृत्य के लिए दण्ड का उपबन्ध करती हैं और विशिष्ट अधिनियम होने के कारण दोषसिद्ध को केवल धारा–3/4 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दण्डित किया जाएगा।

उभयपक्षों के द्वारा दिए गए तर्कों, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, दोषसिद्ध द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता, समाज पर पड़ने वाले उसके कुप्रभाव, अपराध के कारण पीड़िता पर पड़ने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक प्रभाव, अपराध के समय पीड़िता की आयु, दोषसिद्ध की आयु, उसकी मानसिक परिपक्वता पर विचार करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि दोषसिद्ध बबुआ उर्फ सुरजीत उर्फ विश्वजीत को निम्नलिखित दण्डों से दण्डित किये जाने से न्याय की मंशा की पूर्ति होगी।

<u>आदेश</u>

1. विशेष सत्र परीक्षण संख्या–83 सन् 2022, मुकदमा अपराध संख्या–27 सन् 2022 स्टेट बनाम बबुआ उर्फ सुरजीत उर्फ विश्वजीत, थाना सिंगरामऊ, जनपद जौनपुर के प्रकरण में दोषसिद्ध बबुआ उर्फ सुरजीत उर्फ विश्वजीत को धारा–363 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत 4 (चार) वर्ष

के कारावास तथा मुबलिग 5,000/–(पांच हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा किये जाने की दशा में दोषसिद्ध को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

2. दोषसिद्ध बबुआ उर्फ सुरजीत उर्फ विश्वजीत को धारा–366 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत 7 (सात) वर्ष के कारावास तथा मुबलिग 8,000/–(आठ हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा किये जाने की दशा में दोषसिद्ध को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

3. दोषसिद्ध बबुआ उर्फ सुरजीत उर्फ विश्वजीत को धारा–4 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 10 (दस) वर्ष के कठोर कारावास होगा तथा मुबलिग 20,000/–(बीस हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा किये जाने की दशा में दोषसिद्ध को छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

4. दोषसिद्ध की सभी सजाएं साथ–साथ चलेंगी।

5. दोषसिद्ध द्वारा पूर्व में इस मामले में जेल में बिताई गयी अवधि इस सजा की अवधि में समायोजित होगी।

6. अर्थदण्ड की समस्त धनराशि पीड़िता को दी जाए।

7. निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध को नियमानुसार निःशुल्क दी जाए।

8. निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर को प्रेषित की जाए।

9. निर्णय की एक प्रति जिला कारागार, जौनपुर को जेल अपील के प्रयोजन हेतु प्रेषित की जाए।

10. दोषसिद्ध का सजायावी वॉरण्ट तैयार करके, दण्ड भुगतने हेतु जिला कारागार अविलम्ब प्रेषित किया जाए।

<u>दिनांकः–08.07.2026</u>

(सुरेन्द्र प्रताप यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्/
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम,
जौनपुर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

<u>दिनांकः–08.07.2026</u>

(सुरेन्द्र प्रताप यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्/
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम,
जौनपुर।
(ID. No.-UP1668)